समाहरणालय मधेपुरा

(जिला विकाश शाखा)

:- आदेश :-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर परिषद् मधेपुरा क्षेत्र अन्तर्गत नाला / पार्क मद के लिए दिनांक 17.08.2015 को आयोजित जिला स्तरीय संचालन समिति, मधेपुरा द्वारा चयनित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के द्वारा तकनीकी स्वीकृत्योपरांत समर्पित किया गया है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3458 दिनांक 21.06.2011 में निहित निदेश के आलोक में हर परियोजना के लिए लागत का चार प्रतिशत (4%) ही सेवा शुल्क (Centage Charge) दिया जाना है। सेवा शुल्क का प्रावधान कार्य कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा 4% किया गया है। निम्न विवरणी कॉलम 5 के अनुरूप विभिन्न योजनओं को अलग - अलग प्रशासनिक स्वीकृति कुल मो0 37,44,400 सैतीस लाख चौवालीस हजार चार सौ रूपये) पर दी जाती है। साथ हीं सभी योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को कार्यकारी एजेंन्सी नियुक्त किया जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणी कॉलम 6 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति का 60 प्रतिशत राशि यथा कुल राशि 22,46,640 मात्र एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से विमुक्त किया जाता है।

नगर परिषद क्षेत्र, मधेपुरा

यो0 सं0/ वर्ष	मद	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रू0 में)	विमुक्त राशि (प्रशासनिक स्वीकृति का 60प्रतिशत)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06	07
01/ 15-16	पार्क	समाहरणालय स्थित अम्बेदकर पार्क का निर्माण।	27,30,300	27,30,300	16,38,180	3 तीन माह
05/ 15-16	भवन	मधेपुरा नगर परिषद अन्तर्गत बी0 एन0 मंडल स्टेडियम के बगल स्थित कला भवन का विकास कार्य।	10,14,100	10,14,100	6,08,460	3 तीन माह
		कुल योग :-	37,44,400	37,44,400	22,46,640	

योजना कार्यान्वयन की शर्ते :-

01. संबंधित कार्यकारी एजेंन्सी को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की मार्गदर्शिका एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार उक्त सभी योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन में विर्निर्दिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुरा करना होगा।
02. निर्माण प्रकृति की इस योजना का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता (पी0डब्लू0डी0 कोड) के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। योजना के तहत् सामग्रियों / सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन होगा। कार्यकारी एजेंन्सी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब निविदा प्रकाशन, निविदा निष्पादन, एकरारनामा कर निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
03. इन योजनाओं के अन्तर्गत बनायी जानेवाली योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा। इसके लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के संबंधित कनीय / सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।

(8)

04. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी योजना का प्राक्लन एवं प्राक्लन की संक्षिप्त विवरणी एक पृष्ठ में मुद्रित कराकर कार्यस्थल पर रखना सुनिश्चित करेंगे। इसमें योजना का नाम, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, योजना पूर्ण करने की तिथि, योजना में लगने वाले श्रम एवं सामग्री की मात्रा / लागत अंकित रहना चाहिए।

05. योजना प्रारंभ करने से पहले निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी / विडियोग्राफी निश्चित रूप से कराई जाय एवं फोटोग्राफीकी एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधेपुरा को भी भेजी जाए।

06. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें समय - समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

07. योजना में स्थानीय मजदूर से ही कार्य कराया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप से हो तथा भुगतान की गई मजदुरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।

08. कार्य करने के पूर्व कारीकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विगत पाँच वर्षो में इस योजना में कोई कार्य नही हुआ है। साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृति अथवा निर्माणाधीन नही है।

09. योजना के प्राक्लन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नही किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

10. योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड, जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या / वर्ष, प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता का नाम , मजदूरी दर एवं योजना पूर्ण कराने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

11. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा / नगर पंचायत मुरलीगंज उक्त सभी योजना का User Agency होंगे, जो इस आशय का अंडर टेकिंग देगें कि " **योजना के रख - रखाव आदि पर भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था करेंगें** "। कार्यकारी एजेंन्सी योजना पूर्ण होने पर विधिवत् User Agency को हस्तगत करायेंगे।

12. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण , मधेपुरा के पदनाम से रू0 22,46,640 /- रू0 (बाईस लाख छियालीस हजार छः सौ चालीस रूपये) मात्र एकाउन्ट पेयी चेक उल्लिखित मद में उपलब्ध राशि में तैयार कर उन्हें हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगें।

<u>इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।</u>

ह0
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक....189..../वि0,मधेपुरा दिनांक...23/...1.........../2015

प्रतिलिपिः- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्लन की एक - एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। एवं निदेश है कि संबंधित योजना के अंचल के अचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन आरंभ करेंगे।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, डूडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार , पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।